**वित्तीय स्वीकृति (आयोजनागत)**

**संख्या-88/2015/723/एक-5-2015-53/2006**

**प्रेषक,**

**गिरीश चन्द्र,**
**अनु सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**आयुक्त एवं सचिव,**
**राजस्व परिषद, उ0प्र0**
**लखनऊ।**

**राजस्व अनुभाग-5** **लखनऊः: दिनांक 01 जून, 2015**

**विषयः-जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के आवासीय भवनों के निर्माण कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 के पत्र संख्या-141/12(भवन)-25/2015, दिनांक 16 अप्रैल, 2015 के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि जनपद गोरखपुर की तहसील चौरी-चौरा के आवासीय भवनों के निर्माण कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या-167/एक-5-07-53/06, दिनांक 19 जनवरी, 2007 के द्वारा मानकीकृत लागत रू0 174.46 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 20.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-1009/1-5-2008-65/08 टी0सी0, दिनांक 30 मार्च, 2008 के द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 154.46 लाख अर्थात् कुल रू0 174.46 लाख की धनराशि अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के अनुक्रम में प्रश्नगत कार्य को पूर्ण किये जाने हेतु कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 222.29 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि के रूप में रू0 47.83 लाख की धनराशि अवमुक्त की चुकी है। इस प्रकार अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 222.29 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। उक्त स्वीकृत लागत में कार्य पूर्ण न होने के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-330/एक-5-53/2006, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रायोजना की पुनरीक्षित लागत रू0 339.95 लाख पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अवशेष अन्तर की धनराशि रू0 117.66 लाख अर्थात अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 339.95 लाख के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है।

**2-** प्रश्नगत कार्य हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-330/एक-5-53/2006, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा अवमुक्त की गयी रू0 117.66 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो सकी।

**3-** इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-330/एक-5-53/2006, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा अवमुक्त की गयी रू0 117.66 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हो पाने के दृष्टिगत प्रतिपूर्ति हेतु पुनः रू0 117.66 लाख (रूपये एक करोड़ सतरह लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर उक्त प्रयोजन हेतु व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

**(1)** राजस्व परिषद द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को उक्त प्रयोजन हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

**(2)** यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराये गये कार्य की गुणवत्ता निर्धारित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप कराते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से उपलब्ध कराया जाय। निर्माण कार्य निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण भी किया जाय।

**(3)** राजस्व परिषद द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-330/एक-5-53/2006, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा अवमुक्त की गयी रू0 117.66 लाख की धनराशि कोषागार से आहरित न हुई हो।

**(4)** स्वीकृति धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मूल स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

**4-** इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-50 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01-सरकारी रिहायशी भवन-106 साधारण पूल आवास-07-प्रदेश के मण्डल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

**3-** यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा दिये गये दिशानिर्देशों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

**भवदीय,**
**गिरीश चन्द्र**
**अनु सचिव।**

**संख्या-88/2015/723(1)/एक-5-2015-53/2006, तद्दिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

**1-** महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
**2-** कोषाधिकारी, लखनऊ।
**3-** वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
**4-** वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
**5-** जिलाधिकारी, गोरखपुर।
**6-** प्रबंध निदेशक, पैकफेड/संबंधित परियोजना प्रबंधक।
**7-** राजस्व अनुभाग-6
**8-** गार्ड पत्रावली।

**आज्ञा से,**
**गिरीश चन्द्र**
**अनु सचिव।**

http://shasanadesh.up.nic.in

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।